रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072023-247619 CG-DL-E-26072023-247619

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434] No. 434] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945

## वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 554(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956) का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है. अर्थात:-

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम, 2023 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (2) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 के नियम 50 में,-
  - (i) उप-नियम (1) से (7) में जहां कहीं भी 'बोर्ड' शब्द आता है, उसके स्थान पर 'सक्षम प्राधिकारी' शब्दों को रखा जाएगा।
  - (ii) उप-नियम (1) और उप-नियम (6) में 'दो वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्दों को रखा जाएगा।

[फा. सं. एस-11012/02/2020-बीमा-I] मुकेश कुमार बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप- खंड (i) में सा.का.नि.सं.525(अ), तारीख 28 जून, 1995 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन सा.का.नि.सं.482(अ), तारीख 7 जुलाई, 2021 द्वारा किया गया था।

4819 GI/2023 (1)

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Financial Services)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th July, 2023

**G.S.R. 554(E).**— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension Rules, 1995, namely:-

- (1) Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension (Amendment) Rules, 2023.
  - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- (2) In the Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension Rules, 1995, in rule 50,
  - (i) In sub-rules (1) to (7), for the word 'Board' wherever they occur, the words 'Competent Authority' shall be substituted:
  - (ii) In sub-rule (1) and sub-rule (6), for the words 'two years', the words 'one year' shall be substituted.

[F. No. S-11012/02/2020-Ins.1]

MUKESH KUMAR BANSAL, Jt. Secy.

**Note:** The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. No 525(E) dated 28<sup>th</sup> June, 1995 and lastly amended *vide* G.S.R.No.482(E) dated 7<sup>th</sup> July, 2021.